न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी डॉ. मोहन लाल यादव, आई.ए.एस.

बबीता पुत्री घोटा पत्नि शिवसिंह आयु 40 साल जाति जाटव निवासी कोरीपुरा तहसील मासलपुर पटवार हल्का रूंधपुरा जिला करौली हाल निवासी हरलालपुरा पोस्ट मडासिल तहसील बसेड़ी जिला धौलपुर राज. — अपीलाण्ट

बनाम

1. वीरमा पुत्री घोटा पत्नि भीकमसिंह उम्र 38 साल जाति जाटव निवासी कोरीपुरा पटवार हल्का रूंधपुरा तहसील मासलपुर जिला करौली हाल निवासी हरलालपुरा पोस्ट मडासिल तहसील बसेड़ी जिला धौलपुर राज.
2. तहसीलदार तहसील करौली (पूर्व तहसील करौली) वर्तमान तहसील मासलपुर जिला करौली जिला करौली राज. — रेस्पोण्डेण्ट्स

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार तहसील करौली, वर्तमान तहसील मासलपुर, विरासत उत्तराधिकार नामांतरकरण नंबर 146 दिनांक 06.06.1992 ग्राम भूड़खेड़ा, पूर्व तहसील करौली वर्तमान तहसील मासलपुर, मृतक घोटा व सामन्ती की मृत्यु के पश्चात् बबीता के स्थान पर पूरणबाई नाम दर्ज है, के विरुद्ध अपील

निर्णय

दिनांक 19.11.2019

यह अपील भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि तहसीलदार करौली द्वारा तस्दीक किये गये नामांतरकरण संख्या 147 दिनांक 06.06.1992 बाके ग्राम भूडखेड़ा पटवार हल्का रूंधपुरा तहसील करौली हाल तहसील मासलपुर जिला करौली के विरुद्ध यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर शामिल पत्रावली किया गया।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील अपीलाण्ट ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया है कि निर्णय दिनांक 06.06.1992 अदालत मातहत रेस्पोण्डेण्ट नं. 2 खिलाफे कानून, रूहेदाद मिसल, पूर्णतया आरविट्रेरी, परिवरिश रेस्पोण्डेण्ट है और निरस्त किये जाने योग्य है। पटवारी हल्का द्वारा नातांतरकरण दर्ज करते समय अपीलाण्ट का नाम बबीता के स्थान पर पूरणबाई बिला आधार, अपीलाण्ट को बिना सुनवाई का अवसर व नोटिस दिये दर्ज किया है। कोई सजरा पटवारी हल्का द्वारा ग्राम पंचायत भूड़खेड़ा से नहीं लिया गया है और एक ही दिन में सारी कार्यवाही की जाकर जैर अपील निर्णय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। अपीलाण्ट का वास्तविक नाम बबीता पुत्री घोटा पत्नि शिवसिंह है। अपीलाण्ट के समस्त कागजात राशनकार्ड, परिचय पत्र, भामाशाह बैंक पासबुक आदि के नाम बबीता ही अंकित है। अपीलाण्ट का नाम पूरणबाई नहीं है। अपीलाण्ट वरवक्त नामांतरकरण नाबालिग थी। अपीलाण्ट की मा सामन्ती पत्नि स्व. घोटा व पिता घोटा का स्वर्गवास हो चुका है। अपीलाण्ट व रेस्पोण्डेण्ट नं. 1 मृतक सामंती व घोटा की वैध वारिसान हैं। ऐसी स्थिति में जैर अपील नामांतरकरण संख्या 146 दिनांक 06.06.1992 निरस्त किया जाकर पत्रावली पुनः सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किये जाने योग्य है। अपीलाण्ट को जैर अपील नामांतरकरण की जानकारी दिनांक 02.08.2019 को कम्प्यूटराईज्ड जमाबंदी की नकल प्राप्त होने पर हुई है। इससे पूर्व अपीलाण्ट को उक्त नामांतरकरण की जानकारी नहीं रही है। अतः दिनांक 06.06.1992 से दिनांक 02.08.2019 तक के समय को कण्डौन किया जाना न्यायोचित है। इस

हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर पत्रावली को तहसीलदार मासलपुर को रिमाण्ड करने का कथन किया है।

प्रत्यर्थी संख्या 1 ने स्वयं उपस्थित होकर जवाब पेश कर निवेदन किया था कि दोनों पक्षकार सगी बहनें हैं। उनके पिता घोटा व मां सामंती की मृत्यु के पश्चात् उसकी बहन बबीता का नाम पूरणबाई गलत दर्ज हो गया था। दोनों बहनों के अलावा उनके माता पिता के अन्य कोई संतान नहीं है। उसकी बहन के दर्ज गलत नाम पूरणबाई के स्थान पर बबीता कर दिया जावे तो उसे कोई आपत्ति नही है।

बहस उभयपक्षकारान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन कर मनन किया गया। अपीलाण्ट्स द्वारा प्रस्तुत भामाशाह कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, बैंक पास बुक एवं राशन कार्ड के अनुसार अपीलाण्ट का नाम विरमा है। रेस्पोण्डेण्ट नं. 1 को विवादित नामांतरकरण में अपीलाण्ट का नाम संशोधन करने के आदेश पारित करने में कोई आपत्ति नहीं है। इसलिये हम अपीलाण्ट रिमाण्ड किया जाना उचित समझते हैं।

अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है। आलोच्य नामांतरण संख्या 147 निर्णय दिनांक 06.06.1992 पूरणबाई पुत्री घोटा के नाम की हद तक निरस्त किया जाता है। शेष इन्द्राज बदस्तूर रहेंगे। नामांतरकरण संख्या 147 दिनांक 06.06.1992 में अपीलार्थी का नाम संशोधित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। तहसीलदार मासलपुर को आदेश दिये जाते हैं कि नामांतरकरण संख्या 147 दिनांक 06.06.1992 में अपीलार्थी का नाम संशोधित करने की नियमानुसार कार्यवाही करें। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.11.2019 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. मोहन लाल यादव)
जिला कलक्टर
करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Mohan Lal Yadav
Date: 2019.11.29 14:04:35 IST
Reason: SelfAttested
Location: